



डॉ राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक: लो०अ०वि०/ सम्ब०/ २०१९/ ७४३

पृष्ठा: ०५१०५ २४०६०
फैक्स: ०५२७८ २४८१२३

दिनांक : ०५।०५। २०१९

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक ०४-०५-२०१९ के अनुपालन में मेयो कालेज आफ नर्सिंग मेयो इन्स्टीट्यूट स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र २०१८-१९ हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

१. संस्था इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल के प्राविधान के अनुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा तथा उनकी निरन्तरता सुनिश्चित करेगी।
२. संस्था उ०प्र० शासन द्वारा निर्धारित शुल्क की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा नर्सिंग कालेज में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल/उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी, उ०प्र० शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। संस्था द्वारा इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल, नई दिल्ली/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० एवं सचिव, उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी तथा विश्वविद्यालय को प्रवेशित अभ्यासियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
३. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेशित छात्र/छात्राओं की परीक्षा आई०एन०सी० रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
४. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या: २८५१/सत्तर-२-२००३-१५(९२)/२००२ दिनांक २ जुलाई, २००३ में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
५. संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्त महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
६. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा उ०प्र० शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
७. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है।
८. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, आधार-कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
९. मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-६१८५९/२०१२ में पारित आदेश दिनांक २०.१२.२०१२ के अनुपालन में मानकानुसार अप्रैल २०१३ का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
१०. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
११. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-४२१/सत्तर-१-२०१५-१६(२०)/२०११, दिनांक २२ मई, २०१५ के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी। संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।
१२. संस्था/महाविद्यालय अनिवार्य रूप से AISHE की वेबसाइट पर DCF-II से सम्बन्धित सूचनाएं अपलोड करना सुनिश्चित करेगी।

भवदीय

(राम चन्द्र अवस्थी)
कुलसचिव

- प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-३, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
 - सचिव, स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।
 - प्रबन्धक, मेयो कालेज आफ नर्सिंग मेयो इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसेज, फैजाबाद रोड, गदिया, बाराबंकी।
 - परीक्षा नियन्त्रक, डॉ० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या।
 - निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
 - प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित कि इस प्रति को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लाग-इन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(राम चन्द्र अवस्थी)
कुलसचिव